

परिशिष्ट (VI)

स्थानीय भार्गव सभाओं द्वारा अखिल भारतीय भार्गव सभा के संविधान की धारा 11.2 के अन्तर्गत सत्र के लिये सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु प्रारूप

प्रधान सचिव

स्थान :

अखिल भारतीय भार्गव सभा

.....

दिनांक :

1. स्थानीय सभा का नाम :
2. पत्र व्यवहार का पता :
3. सम्पर्क हेतु व्यक्ति का नाम एवं पद :
4. पिछले चुनाव की तिथि :
5. पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की सूची संलग्न की जाए।
6. क्या स्थानीय सभा पंजीकृत है ? (यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण दें।)
7. क्या स्थानीय सभा ने अपना संविधान बनाया है?
8. क्या स्थानीय सभा का संविधान अखिल भारतीय भार्गव सभा द्वारा स्वीकृत किया गया है ? हाँ / नहीं
9. अखिल भारतीय भार्गव सभा से सम्बद्धता प्राप्त करने के सम्बन्ध में स्थानीय सभा की कार्यकारिणी/साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न की जाए।
10. हमारे नगर में भार्गव वयस्कों की संख्या है। अतः हम धारा 11.2 के अनुसार श्रेणी में आते हैं।
11. द्विवार्षिक सत्र के सम्बद्धता शुल्क के रूप में रुपये का बैंक ड्राफ्ट/चैक सं.
दिनांक बैंक का नाम संलग्न है।

हमारी सभा अखिल भारतीय भार्गव सभा के संविधान में निर्धारित नियम एवं उपनियमों को मानने के लिए पूर्णतः बाध्य एवं सहमत है तथा अखिल भारतीय भार्गव सभा अथवा उसकी कार्यकारिणी के दिशा-निर्देशों के पालन करने का वचन देती है।

प्रधान (स्थानीय सभा)
नाम व पूरा पता

सचिव (स्थानीय सभा)
नाम व पूरा पता